116

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 638-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-2013 - पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 307/2010-11 निगरानी

1- गयाप्रसाद पुत्र रामटहल तिवारी
2- जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप तिवारी
निवासीगण ग्राम सेमरी तहसील कोटर
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- अम्बिका प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद तिवारी
ग्राम सेमरी तहसील कोटर
जिला सतना मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शारदाप्रसाद मिश्रा)
(अनावेदक क्र-2 के अभिभाषक श्री मनोजकुमार द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 18-07-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सतना के प्र0क्र0 307/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-8-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सेमरी की भूमि सर्वे क्रमांक 177/1, 177/2, 177/3 का सीमांकन किया गया, जिसके विरूद्ध कलेक्टर जिला सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-10-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। कलेक्टर जिला सतना के आदेश दिनांक 18-10-2004 के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क्र0 209/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दि. 22-2-2005 से निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये कि न्यायहित में सीमांकन चौहद्दी कृषकों की उपस्थिति में कराया जावे ।

तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर प्रकरण नये क्रमांक 15 अ 12/2010-11 पर पॅजीबद्ध किया गया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर को पुर्नसीमांकन के आदेश दिये गये। राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर ने ग्राम सेमरी की भूमि सर्वे क्रमांक 177/1, 177/2, 177/3 के चतुर्मेढ़िया कास्तकारों के समक्ष 28-3-11 को सीमांकन करके सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार कोटर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दि. 4-4-2011 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये भूमि सर्वे क्रमांक 177/1, 177/2, 177/3 के सीमांकन पर मौन रहते हुये माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सतना के आदेश दिनांक 7-2-04 अनुसार भूमि 172/1 एंव आम के दोनों पेड़ आपत्तिकर्ता के स्वामित्व को होना निरूपित करके आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार की तथा सीमांकन प्रकरण खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण क्रमांक 307/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-8-2013 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुनना चाहा, किन्तु आवेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी मेमो के तथ्यों के आधार पर प्रकरण के निराकरण की मांग रखी। अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों, अनावेदक क्र-2 के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे क्रमांक 172/1 रकबा 0.86 एकड़ की भूमि के सम्बन्ध में द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सतना के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 24 ए/2002 चला है जो आदेश दिनांक 7-2-2004 से निराकृत हुआ है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पद 9 (1) एंव पद 9 (2) इस प्रकार है :-

पद 9 (1) - वादी ग्राम सेमरी तहसील रामपुर वाघेलान स्थित आराजी खसरा नं. 172/1 रकबा 0.86 डि. एंव उस पर लगे दो आम के वृक्ष का भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है।

पद 9 (2) - प्रतिवादीगण वादी की भूमिस्वामित्व एंव आधिपत्य की आराजी में स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा व्दारा निषेधित रहेंगे।

म0प्र0शासन व ग्राम पंचायत भी विधि की सम्यक प्रकिया का पालन करने के उपरांत ही वादी की भूमिस्वामित्व की आराजी पर कोई निर्माण कार्य करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

माननीय व्यवहार न्यायालय के उपरोक्त आदेश एंव तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि भूमि सर्वे कमांक 172/1 का अनावेदक क-2 भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी घोषित हुआ है एंव इस सर्वे नंबर पर एंव आम के दो पेड़ों पर कार्यवाही करने पर प्रतिबन्ध है किन्तु सीमांकन का मामला ग्राम सेमरी की भूमि सर्वे कमांक 177/1, 177/2, 177/3 का है एंव भूमि सर्वे कमांक 177/1, 172/2 , 177/3 का राजस्व निरीक्षक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 22-2-2005 के पालन में सीमांकन किया है, माननीय व्यवहार न्यायालय व्दारा निषेधित सर्वे कमांक 172/1 को छोड़कर अन्य सर्वे नंबर के किये गये सीमांकन पर तहसीलदार का आदेश दिनॉक 4-4-2011 मौन है जिस पर अपर कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 307/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-8-2013 में गौर न करने की भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 307/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-8-2013 तथा तहसीलदार कोटर व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ 12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक आदेश दिनॉक 4-4-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार कोटर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह ग्राम सेमरी की भूमि सर्वे कमांक 177/1, 177/2, 177/3 के राजस्व अभिलेख के स्वामित्व की एंव स्थल जांच करें तथा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् सीमांकन आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर